

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड, शाहबाद

क्र.स. 337

दिनांक :- 02/06/2025

सेवा में,

श्रीमान उपवन संरक्षक

बारों

विषय :- Construction and widening of Ramgarh Mata ji Parikrma road

प्रसंग :- Proposal No. FP/RJ/ROAD/34310/2022 (9.06 Ha.) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राज. जयपुर के पत्र क्रमांक 331 दिनांक 03.04.2025 के क्रम में एवं संभागीय मुख्य वन संरक्षक का पत्र क्रमांक 2693 दिनांक 15.04.2025 के क्रम में

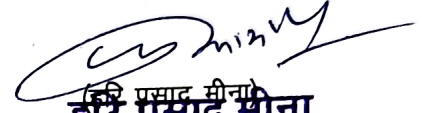
महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित विषयांकित प्रस्ताव में वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में Diversion of 9.06 ha. of forest land for Construction and widening of Ramgarh Mata ji Parikrma road निर्माण हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति हेतु बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है।

शर्त संख्या	बिन्दुवार शर्तों का विवरण	पालना रिपोर्ट का विवरण
	1. General Condition	
1	वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु रामगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व में आनुपातिक परियोजना राशि नियमानुसार 2% RPACS में जमा कराई जावे।	शर्त सं. 1 की अनुपालना में रामगढ़ माताजी परिक्रमा मार्ग सड़क निर्माण के क्षेत्र हेतु वन भूमि की प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त यूजर एजेन्सी द्वारा वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु रामगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व में आनुपातिक परियोजना राशि नियमानुसार 2% RPACS जमा करा दी जावेगी।
2	रामगढ़ माताजी परिक्रमा मार्ग सड़क निर्माण के क्षेत्र हेतु यूजर एजेन्सी द्वारा उप वन संरक्षक के परामर्श से प्रबन्ध योजना बनाई जावेगी जिसमें सड़क के आस-पास लगाये जाने वाले पौधों की प्रजातियों तथा उनके रखरखाव ईत्यादि का उल्लेख होगा।	शर्त सं. 2 की अनुपालना में रामगढ़ माताजी परिक्रमा मार्ग सड़क निर्माण के क्षेत्र हेतु वन भूमि की प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त यूजर एजेन्सी द्वारा उप वन संरक्षक से परामर्श उपरान्त प्रबन्ध योजना बनाकर सड़क के आस-पास लगाये जाने वाले पौधों की प्रजातियों तथा उनके रखरखाव ईत्यादि का उल्लेख कर बोर्ड लगा दिये जायेंगे।
3	एन.पी.वी. राशि नियमानुसार संशोधित दरों के अनुसार जमा करायी जावे।	शर्त सं. 3 की अनुपालना में यदि एन.पी.वी. राशि में वृद्धि होती है तो उपयुक्ता एजेन्सी द्वारा नियमानुसार संशोधित दर राशि जमा करा दी जावेगी।
4	वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु रेस्क्यू सेन्टर बनाया जावे।	शर्त सं. 4 की अनुपालना में रामगढ़ माताजी परिक्रमा मार्ग सड़क निर्माण के क्षेत्र हेतु वन भूमि की प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त यूजर एजेन्सी द्वारा वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु रेस्क्यू सेन्टर बना दिया जायेगा।
5	वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु रामगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व में चार वाटर हाल बनाये जावे।	शर्त सं. 5 की अनुपालना में रामगढ़ माताजी परिक्रमा मार्ग सड़क निर्माण के क्षेत्र हेतु वन भूमि की प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त यूजर एजेन्सी द्वारा वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु रामगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व में चार वाटर हाल बना दिये जायेंगे।
6	वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु रामगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व में आने वाले क्षेत्र में निश्चित अन्तराल पर साईन बोर्ड लगाये जावे।	शर्त सं. 6 की अनुपालना में रामगढ़ माताजी परिक्रमा मार्ग सड़क निर्माण के क्षेत्र हेतु वन भूमि की प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त यूजर एजेन्सी द्वारा वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु रामगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व में आने वाले क्षेत्र में निश्चित अन्तराल पर साईन बोर्ड लगा दिये जायेंगे।


हरि प्रसाद मीना
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि.खण्ड-शाहबाद

7	रामगढ़ कन्जर्वेशन रिजर्व क्षेत्र में वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु मृदा एवं जल संरक्षण कार्य कराये जावें।	शर्त सं. 7 की अनुपालना में रामगढ़ माताजी परिक्रमा मार्ग सड़क निर्माण के क्षेत्र हेतु वन भूमि की प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त यूजर एजेन्सी द्वारा उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा राज्य वन विभाग के परामर्श से परियोजना लागत पर आवश्यकता होने पर व्यापक मृदा संरक्षण एवं जल संरक्षण का उपाय करेगी इस योजना चरण की अनुपालन रिपोर्ट क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत कर दी जायेगी।
---	---	---



हरि प्रसाद मिश्रा
अधिसूचना अधिकारी
सा.नि.मि. बन्ध-शाहनाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

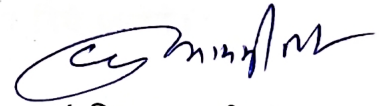
क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- CONSTRUCTION AND WIDENING OF RAMGARH MATA JI
PARIKRMA ROAD
(FP/RJ/ROAD/34310/2022)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 1 की अनुपालना में रामगढ़ माताजी परिक्रमा मार्ग सड़क निर्माण के क्षेत्र हेतु वन भूमि की प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त यूजर एजेन्सी द्वारा वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु रामगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व में आनुपातिक परियोजना राशि नियमानुसार 2: **RPACS** जमा करा दी जावेगी।


(हरि प्रसाद मीश्रा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

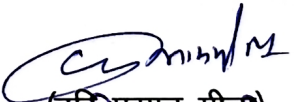
क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- CONSTRUCTION AND WIDENING OF RAMGARH MATA JI
PARIKRMA ROAD
(FP/RJ/ROAD/34310/2022)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 2 की अनुपालना में रामगढ़ माताजी परिक्रमा मार्ग सड़क निर्माण के क्षेत्र हेतु वन भूमि की प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त यूजर एजेन्सी द्वारा उप वन संरक्षक से परामर्श उपरान्त प्रबन्ध योजना बनाकर सड़क के आस-पास लगाये जाने वाले पौधों की प्रजातियों तथा उनके रखरखाव ईत्यादि का उल्लेख कर बोर्ड लगा दिये जायेंगे।


(हरी प्रसादी मोना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड - शाहबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- CONSTRUCTION AND WIDENING OF RAMGARH MATA JI
PARIKRMA ROAD
(FP/RJ/ROAD/34310/2022)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 3 की
अनुपालना में यदि एन.पी.वी. राशि में वृद्धि होती है तो उपयोक्ता एजेन्सी द्वारा नियमानुसार
संशोधित दर राशि जमा करा दी जायेगी।


हरि प्रसाद मीना
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

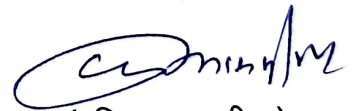
क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :— CONSTRUCTION AND WIDENING OF RAMGARH MATA JI
PARIKRMA ROAD
(FP/RJ/ROAD/34310/2022)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 4 की अनुपालना में रामगढ़ माताजी परिक्रमा मार्ग सड़क निर्माण के क्षेत्र हेतु वन भूमि की प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त यूजर एजेन्सी द्वारा वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु रेस्क्यू सेन्टर बना दिया जायेगा।



(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

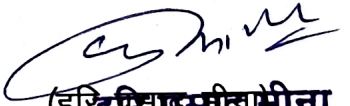
क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- CONSTRUCTION AND WIDENING OF RAMGARH MATA JI
PARIKRMA ROAD
(FP/RJ/ROAD/34310/2022)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 5 की अनुपालना में रामगढ़ माताजी परिक्रमा मार्ग सड़क निर्माण के क्षेत्र हेतु वन भूमि की प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त यूजर एजेन्सी द्वारा वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु रामगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व में चार वाटर हाल बना दिये जायेंगे।


(हरिप्रसाद मिश्रा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड-शाहबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- CONSTRUCTION AND WIDENING OF RAMGARH MATA JI
PARIKRMA ROAD
(FP/RJ/ROAD/34310/2022)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 6 की अनुपालना में रामगढ़ माताजी परिक्रमा मार्ग सड़क निर्माण के क्षेत्र हेतु वन भूमि की प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त यूजर एजेन्सी द्वारा वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु रामगढ़ कन्जर्वेशन रिजर्व में आने वाले क्षेत्र में निश्चित अन्तराल पर साईन बोर्ड लगा दिये जायेंगे।


(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- CONSTRUCTION AND WIDENING OF RAMGARH MATA JI
PARIKRMA ROAD
(FP/RJ/ROAD/34310/2022)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 7 की अनुपालना में रामगढ़ माताजी परिक्रमा मार्ग सड़क निर्माण के क्षेत्र हेतु वन भूमि की प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त यूजर एजेन्सी द्वारा उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा राज्य वन विभाग के परामर्श से परियोजना लागत पर आवश्यकता होने पर व्यापक मृदा संरक्षण एवं जल संरक्षण का उपाय करेगी इस योजना चरण की अनुपालन रिपोर्ट क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत कर दी जायेगी।


(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद